''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर 2001 कार्तिक 18, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10 /391/2001 / वाक / पांच (65)— जैसा कि राज्य शासन को समाधान हो गया है कि ऐसा जनहित में किया जाना आवश्यक है :

अतः अब राज्य शासन केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित वस्तुओं की श्रेणी को कालम (3) में उल्लेखित सीमा तक कालम (4) में उल्लेखित कालावधि के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कर से भुगतान की छूट प्रदान करता है.

अनुसूची

क्रम (1)	वस्तु की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	कालावधि (4)
1	धान	संपूर्ण कर	1-10-2001 से 31-3-2002

Raipur, the 9th November 2001

NOTIFICATION

No. F- 10/ 391/ 2001/ CT/ V (65).— Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) the, State Government, hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) for the period specified in column (4).

SCHEDULE

S.No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)	Period (4)
1	Paddy	Whole of tax	1-10-2001 to 31-3-2002

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2001.